प्रस्ताव की राज्य क्र0सं0–..

भाग – II

(प्राप्ति की तारीख के साथ नोडल अधिकारी द्वारा भरा जायेगा)

(सम्बन्धित प्रस्ताव की राज्य क्रम संख्या)

क्र0सं0	प्रस्ताव	
7	परियोजना/स्कीम का स्थान	राज्य पेय जल एवं स्वच्छता मिशन हेतु नामित नोडल अधिकारी/अधिशासी अभियंता, अभाव खण्ड उ0प्र0 जल निगम, मीरजापुर द्वारा जनपद–मीरजापुर में ग्रामीण पेयजल योजनाओं के अन्तर्गत जनपद–मीरजापुर की सतही श्रोत आधारित **दॉती ग्राम समूह** पेयजल योजना हेतु प्रस्तावित विभिन्न ग्रामों में पेयजल पाइप लाइन बिछाया जाना प्रस्तावित है। उक्त निर्माण कार्य हेतु अधिशासी अभियंता/नोडल अधिकारी द्वारा वन संरक्षण अधिनियम 1980 के तहत् निम्न बिन्दुओं पर अनुमति की मांग की गयी है। 1–विभिन्न ग्रामों मे पेयजल पाइप लाइन बिछाये जाने से प्रभावित **क्षेत्रफल 0.7694 हे0** आरक्षित एवं संरक्षित वन भूमि के बिना वृक्ष पातन के गैर वानिकी प्रयोग की अनुमति।
(i)	राज्य/संघ शासित क्षेत्र	उत्तर प्रदेश
(ii)	जिला	मीरजापुर
(iii)	वन प्रभाग	मीरजापुर वन प्रभाग
(iv)	वनेत्तर प्रयोग के लिए प्रस्तावित वन भूमि का क्षेत्र (हें0 में)	**0.5897** हे0 (आरक्षित वन भूमि) **0.1797** हे0 (संरक्षित वन भूमि) **कुल 0.7694 हे0**
(v)	वन की कानूनी स्थिति	आरक्षित वन भूमि (स्वामित्व वन विभाग का है) संरक्षित वन भूमि (लोक निर्माण विभाग का है)
(vi)	हरियाली का घनत्व	0 (इको क्लास–iii, खुला वन)
(vii)	प्रजातिवार (वैज्ञानिक नाम) और परिधि श्रेणी वार वृक्षों की परिगणना (संलग्न की जाय) सिचाई/ जलीय परियोजनाओं के सम्बन्ध में एक आर0 एल0, एफ0आर0एल0–2 मीटर पर परिगणना और एफ0आर0एल0–4 मीटर भी संलग्न किया जाय।	प्रस्तावित विभिन्न ग्रामों मे पेयजल पाइप लाइन बिछाये जाने से किसी भी वृक्ष का पातन सम्भावित नही है।
(viii)	भू–क्षरण के लिये वन क्षेत्र की संवेदनशीलता	यह भू–भाग भू–क्षरण के लिये संवेदनशील नही है।
(ix)	वनेत्तर प्रयोग के लिये प्रस्तावित स्थल की वन की सीमा से अनुमानित दूरी	परियोजना हेतु प्रस्तावित क्षेत्र आरक्षित वन क्षेत्र का भाग है।
(x)	क्या फार्म, राष्ट्रीय उद्यान, वन्य जीव अभ्यारण्य, जैव मण्डल रिजर्व बाघ रिजर्व, हाथी कोरीडोर, आदि का भाग है (यदि हॉ, क्षेत्र का ब्यौरा और प्रमुख वन्य जीव वार्डन की टिप्पणियों अनुबन्धित की जाय)	नही।
(xi)	क्या क्षेत्र में वनस्पति और प्राणिजात की दुर्लभ/संकटापन्न/विशिष्ट प्रजातियां पाई जाती है यदि हॉ तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा दें।	नही।

<table>
<tr><td>(xii)</td><td>क्या कोई सुरक्षित पुरातत्वीय/पारंपरिक स्थल/रक्षा प्रतिष्ठान और कोई अन्य महत्वपूर्ण स्मारक क्षेत्र में स्थित है। यदि हॉ तो तत्संबन्धी ब्यौरा सक्षम प्राधिकरण से अनापत्ति प्रमाण पत्र के साथ यदि अपेक्षित हो दें।</td><td>नही।</td></tr>
<tr><td>8</td><td>प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा भाग–1, कालम 2 में प्रस्तावित वन भूमि की आवश्यकता परियोजना के लिए अपरिहार्य और न्यूनतम है, यदि नहीं, तो जांचे गये विकल्पों के ब्यौरो के साथ मदवार संस्तुत क्षेत्र क्या है?</td><td>आरक्षित एवं संरक्षित वन भूमि का उपयोग विभिन्न ग्रामों में पेयजल पाइप लाइन बिछाये जाने हेतु अपरिहार्य एवं न्यूनतम है। उक्त निर्माण कार्य हेतु आरक्षित वन भूमि के अतिरिक्त अन्य कोई विकल्प नही है।</td></tr>
<tr><td>9</td><td>क्या अधिनियम के उल्लंघन में कोई कार्य किया गया है (हॉ/नही) यदि हॉ तो कार्य की अवधि, दोषी अधिकारियों पर की गई कार्यवाही सहित कार्य का ब्यौरा दें। क्या उल्लंघन सम्बन्धी कार्य अभी भी चल रहें है।</td><td>नही</td></tr>
<tr><td>10</td><td>प्रतिपूरक वनीकरण स्कीम का ब्यौरा</td><td></td></tr>
<tr><td>(i)</td><td>प्रतिपूरक वनीकरण के लिए अभिनिर्धारित वनेत्तर क्षेत्र/ अवनत वन क्षेत्र, आस–पास के वन से इसकी दूरी, भू–खण्डों की संख्या प्रत्येक भू–खण्ड का आकार।</td><td>उक्त परियोजना से प्रभावित क्षेत्रफल 0.7694 आरक्षित एवं सरंक्षित वन भूमि के बदले 0.7694 x 2 = 1.5388 या 2.00 हे0 अवनत वन भूमि पर निम्न प्रकार से क्षतिपूरक वनीकरण किया जाना प्रस्तावित है :–
<table>
<tr><th>क0 सं0</th><th>रेंज का नाम</th><th>ग्राम का नाम</th><th>बीट का नाम</th><th>क0 न0</th><th>अवनत वनभूमि का क्षेत्रफल (हे0में)</th></tr>
<tr><td>1</td><td>लालगंज</td><td>विजयपुर</td><td>विजयपुर</td><td>क0न0–3 दादरकला</td><td>2.00</td></tr>
</table></td></tr>
<tr><td>(ii)</td><td>प्रतिपूरक वनीकरण के लिए अभिनिर्धारित वनेतर/अवक्रमिक वन क्षेत्र, आस–पास की वन सीमाओं का दर्शाता मैंप।</td><td>संलग्न है।</td></tr>
<tr><td>(iii)</td><td>रोपित की जाने वाली प्रजातियों सहित प्रतिपूरक वनीकरण स्कीम के विवरण कार्यान्वयन एजेन्सी समय अनुसूची लागत ढ़ाचा आदि ।</td><td>रोपित की जाने वाली मुख्य प्रजातियां–इमली, नीम, आम, जामुन, कठसागौन, बहेडा, ऑवला, कंजी, चिलबिल, शीशम आदि।</td></tr>
<tr><td>(iv)</td><td>प्रतिपूरक वनीकरण स्कीम के लिए कुल वित्तीय परिव्यय</td><td>रू0 3,19,691.00 (तीन लाख उन्नीस हजार छः सौ इक्यानबे रूपये मात्र)</td></tr>
<tr><td>(v)</td><td>प्रतिपूरक वनीकरण के लिए अभिनिर्धारित क्षेत्र की उपयुक्तता के बारे में और प्रबन्धकीय दृष्टिकोण से सक्षम प्राधिकरण से प्रमाण पत्र (सम्बन्धित उप वन संरक्षक</td><td>संलग्न है।</td></tr>
</table>

अधिशासी अभियन्ता
खण्ड कार्यालय
उ०प्र० जल निगम
मीरजापुर

	द्वारा हस्ताक्षरित किया जाय)	
11	जिला वन संरक्षक की स्थल निरीक्षण रिपोर्ट विशेषतः उपर्युक्त कालम–7 (xi, xii) 8 और 9 के पूछे गये तथ्यों को दर्शाते हुए (संलग्न करें)	संलग्न है।
12	**विभाग/जिला प्रोफाइल**	
(i)	जिले का भौगोलिक क्षेत्र	452200.00 हे0
(ii)	जिले का वन क्षेत्र	122914.2979 हे0
(iii)	मामलों की संख्या सहित 1980 से वनेत्तर प्रयोग में लाया गया वन क्षेत्र प्रभाग	61 मामले, 740.9168 हें0
(iv)	1980 से जिला/प्रभाग में निर्धारित कुल प्रतिपूरक वनीकरण (क) दण्ड के रूप में प्रतिपूरक वनीकरण सहित वन भूमि । (ख) वनेत्तर भूमि पर ।	860.60 हें0 596.074 हें0 264.526 हें0
(v)	अब तक प्रतिपूरक वनीकरण में हुई प्रगति	500.736 हें0
	(क) वन भूमि पर	242.57 हें0
	(ख) वनेत्तर भूमि पर	258.166 हें0
13	प्रस्ताव को स्वीकृत करने अथवा प्रस्ताव को अन्यथा लेने के सम्बन्ध में उप वन संरक्षक की विशेष सिफारिश	प्रस्ताव में उल्लिखित भूमि की मांग न्यूनतम है तथा जनपद–मीरजापुर की सतही श्रोत आधारित **दॉती ग्राम समूह** पेयजल योजना हेतु प्रस्तावित विभिन्न ग्रामों में पेयजल पाइप लाइन बिछाये जाने से वन एवं वन जीवों के सम्बर्धन पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नही पड़ेंगा। उपरोक्तानुसार प्रस्ताव की संस्तुति की जाती है ।

दिनांक : 09-06-2022

स्थान : मीरजापुर

हस्ताक्षर : प्रभागीय वनाधिकारी मीरजापुर वन प्रभाग मीरजापुर

नाम : क्षेत्रीय वन अधिकारी

सरकारी मोहर : विजयनफाल रेंज

क्षेत्रीय वन अधिकारी पड़िहारा रेंज मीरजापुर वन प्रभाग

उप प्रभागीय वनाधिकारी चुनार